संख्याः —— /X-4—19/1(26)/2019

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 20 ~~मई~~ जून 2019

विषयः जनपद–चमोली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–58) के किमी0 489.00 (मारवाडी) से किमी0 528.00 (माणा) के मध्य हाथी पहाड, बैनाकुली लैण्ड स्लाइड उपचार व ताया पुल का पुनर्निर्धारण व सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं मलवा निस्तारण हेतु 24.793 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3036/FP/UK/ROAD/39348/2019, दिनांक 09 मई, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या–307/X-4—19—1(26)/2019 दिनांक 15.04.2019 एवं 377/X-4—19—1(26)/2019 दिनांक 25.04.2019 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय **जनपद–चमोली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–58) के किमी0 489.00 (मारवाडी) से किमी0 528.00 (माणा) के मध्य हाथी पहाड, बैनाकुली लैण्ड स्लाइड उपचार व ताया पुल का पुनर्निर्धारण व सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं मलवा निस्तारण हेतु 24.793 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन** की **विधिवत** स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged;
2. This general approval shall be valid for the area located within 100 kilometer aerial distance from the LAC;
3. The user agency shall submit the project proposal to the State Government in the prescribed i.e. Form-A as provided in Rules-6 of the Forest (Conservation) Rules, 2003;
4. State Government shall accord approval to the proposal duty recommended by Principal Chief Conservator of forests;
5. Forest land proposed to be diverted shall be located outside the Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972;
6. User agency shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land, Forest land to be used for construction/ widening of the roads shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. The concerned Divisional Forest Officer shall certify to this effect;
7. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980 shall submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. In the event of failure, the exercise of power by the State Government to grant such permission may be suspended by the Central Government for a specified period of time or till the information is submitted;
8. State Government shall realise from the user agency funds for creation of compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the area of forest land utilised for construction/ widening of the roads;
9. User agency shall be responsible for any loss to the flora/fauna in the surroundings and therefore, sahll take all possible measures to conserve the same;
10. User agency shall pay the Net present velue (NPV) of the diverted forest land at the rates stipulated by this Ministry from time to time;
11. Permission accorded by the State Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of this Ministry;

12. Forest land utilised for construction or widening of the road shall not be used for any purpose other then that specified in this approval. Any change in the land use without prior permission of the Central Government shall amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 Request of such changes shall be made to the Regional Office by the Nodal Officer (Forest Conservation) of the State/Union Territory;
13. State Forest Department/State Government or the concerned Regional Office may impose from time to time any other condition of conservation, protection and/ or development forest.
14. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
15. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 24.793 है0 डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैन्ड पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
18. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
19. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
20. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थनों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में प्रस्वावित परियोजना/सड़क के दोनों किनारों तथा **Central Verge** पर **Strip Plantation** किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
23. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को **(ad-hoc CAMPA)** कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
24. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
25. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
26. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
27. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
28. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
29. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
30. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
31. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

32. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का **RCC Piilars** लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** तथा **Back bearing** अंकित किया जाय।

33. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्याः 462 (1)/ X-4–19/1(26)/2019, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
7. कमान अधिकारी, 75 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ), द्वारा 56 सेना डाकघर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।